मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 किसान भवन अरेरा हिल्स भोपाल

ई–मेल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / ई–अनुज्ञापत्र / 521 / 1122 .   भोपाल दिनांकः 10 जनवरी 2019

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त),
.... जिला ....(म0प्र0)

विषयः– प्रदेश की मण्डी समितियों में मेनुअल अनुज्ञापत्र जारी किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– कार्यालयीन पत्र क्रमांक / बी–6 / नियमन / ई–अनुज्ञा / 2018–19 / 1069 भोपाल दिनांक 01 जनवरी 2019

–0–

विषय संदर्भ मे, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रदेश की समस्त कृषि उपज मण्डियों में अधिसूचित कृषि उपज के परिवहन / निर्गमन हेतु परिवर्तित ई–अनुज्ञा प्रणाली लागू किया जाना नियत किया गया था। ई–अनुज्ञा प्रणाली के संबंध मे राज्य शासन के द्वारा इसका वैधानिक एवं विधिक परीक्षण कराये जाने और परीक्षण उपरांत अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही प्रदेश की मण्डियों मे लागू किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है।

2/ संदर्भित पत्र दिनांक 01.01.2019 से, वाणिज्यक संव्यवहार अन्तर्गत कृषि उपज के परिवहन / निर्गमन के संबंध में मेनुअल जारी किये जाने वाले अनुज्ञापत्रों की प्रविष्टि पूर्वानुसार ई–अनुज्ञा प्रणाली में दर्ज करने के तत्पश्चात "सिस्टम जनित अनुज्ञापत्र का क्रमांक" मेनुअली जारी किये गये अनुज्ञापत्र के उपरार्ध भाग पर अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

3/ समीक्षा करने पर पाया गया है कि अनुज्ञापत्र जारीकर्ता मण्डी समितियों द्वारा जारी किये गये मेनुअल अनुज्ञापत्रों (01.04.2015 से वर्तमान तक जारी हुये) की बडी संख्या में पोर्टल पर ई–प्रविष्टि तकनीकी कारणो से नहीं की जा सकी है। जिसके कारण व्यापारियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से यह संज्ञान में लाया जा रहा है कि उपरोक्तानुसार अनुज्ञापत्र जारीकर्ता मण्डी समिति के पार्टल पर इसकी ई–प्रविष्टि दर्ज नही होने से, मण्डी समिति के अमले द्वारा, उन्हें आगामी वाणिज्यक संव्यवहार हेतु मेनुअल अनुज्ञापत्र जारी नहीं किये जा रहे है।

4/ उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समिति द्वारा जारी ऐसे मेनुअल अनुज्ञापत्र(जिनकी प्रविष्टि 01.04.2015 से वर्तमान तक ई–पोर्टल पर नही हुई है) के अनुक्रम में आगामी वाणिज्यक संव्यवहार हेतु व्यापारी यदि अनुज्ञापत्र जारी कराना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में व्यापारी को मेनुअल अनुज्ञापत्र अविलंब प्रदाय किये जाये। परन्तु ऐसे अनुज्ञापत्र जारी करने के पूर्व वाहन का कृषि उपज सहित भौतिक सत्यापन मण्डी सचिव द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जावेगा।

5/ अनुज्ञापत्र जारी करते समय यदि सर्वर डाउन होने की स्थिति व्याप्त होती है तो व्यापारी को मेनुअल अनुज्ञापत्र जारी किया जाकर ऐसे अनुज्ञापत्र की पोर्टल पर प्रविष्टि सर्वर ठीक होने के उपरांत उसी दिन अथवा आगामी दिवस को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जावेगा ।

6/ उपरोक्त समस्त ऐसे मेनुअली जारी अनुज्ञापत्रों का विवरण पृथक पंजी में संधारित किया जाकर आगामी एक सप्ताह में मण्डीफीस का सत्यापन सचिव द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। किसी प्रकरण में पूर्ण मण्डीफीस प्राप्त न होने की स्थिति में मण्डी अधिनियम की धारा 19(4) के तहत् कार्यवाही कर प्रकरणवार जानकारी आंचलिक अधिकारी को अनिवार्य रूप से भेजी जावेगी। इस प्रकार के प्रकरणों को आंचलिक अधिकारियों द्वारा मासिक समीक्षा बैठक में अनिवार्य रूप से प्रतिवेदित किया जाये ।

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/ ई–अनुज्ञापत्र/521/1123 भोपाल दिनांकः 10 जनवरी 2019
प्रतिलिपिः–

(1) संयुक्त संचालक/उप संचालक,मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,आंचलिक कार्यालय, भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0) की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन कराया जाकर मासिक समीक्षा बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल